Order sheet [Contd]

case No: B.A. - 326 / 17

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Pleaders

where

necessayry

14-09-17 04:30 to 04:45 pm आवेदक / अभियुक्त अमरसिंह द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता उप०। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप०। थाना मौ के अपराध क0—173 / 2017 अंतर्गत धारा—379 भा.दं.वि० के संबंध में विचारण न्यायालय का मूल आपराधिक प्रकरण क्रमाक 456 / 17 का मूल अभिलेख एवं थाना मौ की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं०प्र०सं० के साथ आवेदक अमरसिंह के पुत्र भारत सिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में आवेदक के अधिवक्ता श्री के.पी. राठौर द्वारा अपना स्वयं का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आवेदक के पुत्र के शपथपत्र में भारतिसंह के पिता का नाम अरमिंह के स्थान पर त्रुटिवश कप्तान सिंह लिख गया है। भारतिसंह के शपथपत्र एवं आवेदक के आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं०प्र०सं० का है। इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। केस डायरी से भी ऐसा ही स्पष्ट है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क स्ने गए।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है न ही तथाकथित अपराध से उसका कोई संबंध सरोकार है। प्रकरण में मुख्य आरोपी रिव की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 8240 / 2017 में पारित आदेश दिनांक 08.09.17 एवं अरोपी रामदास की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 8791 / 2017 में पारित आदेश दिनांक 04.09.17 से हो चुकी है। उसका कृत्य भी उक्त आरोपीगण से भिन्न नहीं है। इसलिए उसे समानता का लाभ देते हुए जमानत पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पुलिस द्वारा अभियोगपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और विचारण में समय लगने की प्रबल संभावना है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार प्रदीप जाटव ने अन्य सहअभियुक्तगण रामदास गुर्जर, कल्ला गुर्जर एवं अमरसिंह के साथ मिलकर फरियादी भगवान सिंह जाटव की एक भैंस, पड़ोसी भोलाराम जाटव की दो पड़िया व एक पड़ा दिनांक 10.07.17 को दोपहर 02:00 बजे के लगभग गंभीर सिंह के पुरा के हार से चराते समय चोरी कर ली। जिसकी रिपोर्ट थाना मौ में की गई। उक्त भैंस, दो पड़िया व एक पड़ा कुल कीमती Order or proceeding with signature of Presiding Officer

1,50,000 / — रूपए अभियुक्त रिव एवं प्रदीप के आधिपत्य से जप्त की गई है। दिनांक 12.07.2017 को अभियुक्तगण प्रदीप एवं रिव चोरी की गई भैंस, दो पिड़या एवं पड़े को लेकर ग्राम अंतरमोहा से गुहीसर ग्राम के हार में घेर का ले जा रहे थे आगे—आगे अंतरमोहा का कल्ला गुर्जर, अमरिसंह गुर्जर तथा बेहट का रामदास गुर्जर चल रहे थे। उक्त तीनों मौके से भाग गए इस प्रकार समूह में चोरी की गई है।

आवेदक / अभियुक्त अमरिसंह की ओर से समानता का आधार लिया गया है। इस मामले में सभी अभियुक्तगणउक्त भैंस, दो पिड़या व एक पड़ा ले जा रहे थे। रिव को दिनांक 12.07.17 को गिरफ्तार किया गया है, दिनांक 08.09.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसकी जमानत का आदेश किया गया है। वह 12.09.17 को अर्थात लगभग दो माह निरोध में रहा है। इसी प्रकार अभियुक्त रामदास भी लगभग दो माह निरोध में रहा है। जबिक अमरिसंह 09.09.17 से अर्थात केवल पांच दिवस से निरोध में है। इस कारण उसका मामला जमानत पर रिहा अभियुक्तगण के मामले के समान नहीं कहा जा सकता। आवेदक के कृत्य को देखते हुए, मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों तथा चोरी की गई भैंस आदि की कीमत को देखते हुए आवेदक अमरिसंह को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की प्रति मूल अभिलेख सहित संबंधित विचारण न्यायालय की ओर भेजी जावे।

नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं प्रपन्न अभिलेखागार में भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड